

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर**

पीठासीन अधिकारी :- रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 95/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00202

उनवान

1. पूरन उर्फ पहाड़ी पुत्र रामप्रसाद
  2. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाशी पुत्र हरीसिंह
- जाति जाट, निवासी ग्राम कासौट, तहसील  
डीग जिला भरतपुर हाल जिला डीग।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश
  2. हरीसिंह
  3. निहालसिंह
  4. बालकिशन
  5. राजेन्द्र
- पिसरान अंगद, जाति जाट निवासी ग्राम कासौट  
तहसील डीग जिला भरतपुर हाल जिला डीग।

6. लालसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कासौट तहसील डीग।

.....असल रेस्पोजेण्ट्स

7. महावीर पुत्र मदन जाति जाट, निवासी ग्राम कासौट तहसील डीग।

.....तरतीवी रेस्पोजेण्ट्स



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 113/12  
बउनवानी जगदीश बनाम पूरन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 द्वारा न्यायालय  
उपरखण्ड अधिकारी डीग, दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट


अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलाण्ट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा मु.स. 113/12 बउनवानी जगदीश बनाम पूरन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016, दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोजेण्ट्स असल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मुत0 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है लेकिन बिना किसी अधिकार के वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मुत0 में मजाहमद मदाखलत करने की धमकी दी। इसलिए रेस्पोजेण्ट असल ने दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी मुत0 खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 57/357 यानि की 50 एयर मे जबरन लठ्ट के बल पर कब्जा नाजायज न करें व वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व

  
राजस्व अपील अधिकारी  
भरतपुर (राज०)

मदाखलत नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वादीगण के अधिकारों पर कूठाराघात पहुंचे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट कासौट में रखी जाकर दिनांक 17.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री नीरपाल सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोंडेन्ट्स बावजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तारीखी 17.05.2016 पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे तथा कानून प्रावधानों एवं मौके के विपरीत मात्र सरसरी तौर पर आँख बंद करके पारित किया गया है चूँकि तहत न्यायालय ने वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट के 57/357 हिस्से पर ही स्थाई निषेधाज्ञा बावत दादरसी चाही गई है जबकि हाल खसरा नम्बर 5435/3.09 के समस्त सह हिस्सेदारान को पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया है तथा वादीगण भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार न होकर गैर खातेदार दर्ज है। परन्तु तहत न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत खसरा नम्बर 5435/3.09 संपूर्ण पर वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करदी है जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे है। वदी वजह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह भली भाँति स्पष्ट था कि वादीगण का हाल खसरा नम्बर 5435/3.09 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काशत कभी नहीं रहा है तथा जो इन्द्राजात गैर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है वह बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश आधारहीन है तथा पचासों सालों से जमाबंदी व खसरा गिरदावरियों में बंजड कदीम व पडत के रूप दर्ज है। इससे यह भली भाँति स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर कभी भी काशत नहीं हुई है तो वादीगण का कब्जा काशत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है परन्तु उक्त समस्त तथ्यों को नजरंदाज करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 पारित किये गये हैं। जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है। मुताविक कानून डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा के लिये खातेदारी एव कब्जा विवादित आराजी का वादीगण में निहित होने का आवश्यक प्रावधान है परन्तु मौजूदा प्रकरण में न तो वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है और और न ही कब्जा ही वादीगण का कभी रहा है बल्कि जिन्स के रूप में पडत के इन्द्राज दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु फिर भी तहत न्यायालय द्वारा खातेदारी एवं कब्जे के अभाव में वादीगण पक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 पारित करने में अहम कानूनी गलती की है। वदी वजह हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भली भाँति स्पष्ट था कि वादीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी के गलत इन्द्राजात को निरस्त कराने बावत रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि हाल खसरा नम्बर 5435/3.09 साविक खसरा नम्बर 3452 रकवा 16 बीघा से बन्दोवस्त विभाग द्वारा बनाया गया है साविक खसरा नम्बर 3452 रकवा 16 बीघा टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही चारागाह के रूप में दर्ज रही है चारागाह की आराजी पर आवंटन तथा इन्द्राज गैर खातेदारी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है।



*[Signature]*  
राजस्व अपील अधिकारी  
भरतपुर (राज०)

परन्तु उक्त सभी तथ्यों को नरंदाज करते हुए तहत न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अहम कानूनी गलती की है। वदी वजह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्तान स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तारीखी 17.05.2016 मिसिल नम्बर 113/12 निरस्त फरमाये जावे।

6. अपीलान्त ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 11.07.2016 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेन्ट्स असल ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर अभिकथन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मुत० से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मुत० में मजाहमद मदाखलत करने की धमकी दी। इसलिए रेस्पोंडेन्ट असल ने दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा कि प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी मुत० खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 57/357 यानि की 50 एयर मे जबरन लट्ट के बल पर नाजायज कब्जा न करें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादीगण के अधिकारों को कुठाराघात पहुंचे। "अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट कासौट में ले जाकर दिनांक 17.05.2016 को वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया।"



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2012 को प्रस्तुत किया गया जिसके बाद आदेशिका दिनांक 27.06.2012 में यह अंकित किया गया कि अभिभाषक वादी उप०। प्रतिवादीगण की ओर से श्री कैलाश चन्द गुप्ता एड. हाजिर हुए। जिसके बाद प्रतिवादीगण द्वारा जबाब हेतु समय चाहा गया। आदेशिका दिनांक 02.01.2013 के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1,2,3 ने जबाब दावा पेश किया गया। नकल दी गई। पत्रावली आगामी दिनांक 07.02.2013 को नियत की गई। जिसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 22.09.2015 के अनुसार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात रखी गई। आगामी पेशी दिनांक 03.11.2015 नियत की गई। किन्तु तारीख पेशी दिनांक 03.11.2015, 29.12.2015, 23.02.2016 एवं 26.04.2016 को लगातार मुहर लगाकर अंकित की गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 17.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कासौट पर पेश की जाकर वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका 22.09.2015 से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी सं. 1,2,3 द्वारा दावे में जबाब पेश करने के बाद पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात रखी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के जबाब के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गई और न ही वादी एवं


*(Signature)*

प्रतिवादीगण से कोई साक्ष्य, सबूत लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही वादीगण का दावा डिक्री कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह वादी के दावा एवं प्रतिवादी सं. 1,2,3 द्वारा पेश जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते एवं उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सीधे ही वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उभयपक्षों की ओर से प्रकरण को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई सहमति व्यक्त की गयी हो और विधि स्पष्ट है कि विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत में किसी प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र तब पैदा होता है जब उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किए जाने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उभयपक्षों की सहमति से लोक अदालत को रैफर किया हो। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर पक्षकारों की ओर से कोई राजीनामा या सहमति का भी कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि राजीनामा के आधार पर या सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत द्वारा किया गया हो और आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान मौजूद भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2016 लोक अदालत कैम्प कासौट द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण में बिना किसी पक्षकार को सूचना दिये लोक अदालत कैम्प कासौट में पत्रावली रखी जाकर उसका निस्तारण केवल लोक अदालत में अपने द्वारा निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करनी चाहिए थी, उसके उपरान्त विधिवत रूप से वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी साक्ष्य लेकर उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित कर साक्ष्य में पढ़कर विधिवत रूप से प्रक्रियात्मक कानून की पालना कर निर्णय एवं डिक्री पारित किए जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में इसी विवादित खसरा नम्बर 5435/3.09 वाके ग्राम कासौट के सम्बन्ध में दो वाद-पत्र क्रमशः 112/12 रमेश बनाम बच्चू एवं 113/12 जगदीश बनाम पूरन पेश किए गए थे। जिसमें प्रतिवादीगण समान ही हैं केवल प्रकरण सं. 112/12 में प्रतिवादी सं. 1 बच्चू पुत्र छोटे अतिरिक्त रूप से संयोजित है, शेष पूरन पुत्र रामप्रसाद, महावीर पुत्र मदन एवं प्रकाशी पुत्र हरिसिंह दोनों वादपत्र में समान प्रतिवादीगण है। उक्त दोनों दावों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिनांक 17.05.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निस्तारित किया है। जिसमें वादपत्र सं. 113/12 को तो लोक अदालत कैम्प कोर्ट कासौट में ही रखकर निस्तारित किया गया है लेकिन वादपत्र सं. 112/12 को पत्रावली ग्राम कासौट की भूमि से सम्बन्धित होते हुए भी कैम्प कोर्ट अऊ में रखी जाकर निस्तारित की है जो सोचनीय है। हस प्रकार यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि प्रकरण उभयपक्षों की समुचित सुनवाई हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।



8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 लोक अदालत कैम्प कोर्ट कासौट को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रूप से उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य, सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के समक्ष दिनांक 18.06.2026 को पेश हों।
9. निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



  
(रिछपाल सिंह बुरड़क)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर